भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3123
जिसका उत्तर शुक्रवार 20 मार्च, 2020 को दिया जाएगा

खाद्य मुद्रास्फीति

3123. श्री संजय सिंहः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को 14.12 प्रतिशत खुदरा खाद्य मुद्रा स्फीति की जानकारी है जो छः वर्षों में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खाद्य पदार्थों की कीमत को कम करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री राम विलास पासवान)

(क) और (ख): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सी.एफ.पी.आई.) आधारित खाद्य महंगाई के विगत छह वर्षों जनवरी, 2014 से दिसंबर, 2019 और वर्तमान वर्ष 2020 के जनवरी और फरवरी, 2020 के ब्यौरे अनुलग्नक पर दिए गए हैं।

खाद्य वस्तुओं की कीमतें, अन्य बातों के साथ-साथ, मांग और आपूर्ति में अंतर, विपरीत मौसमी परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पादन में कमी, सीजनेलटी, परिवहन लागत में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाएं जैसे कि भंडारण सुविधाओं की कमी, जमाखोरी और कालाबाजारी इत्यादि से उत्पन्न कृत्रिम कमी द्वारा प्रभावित होती हैं।

(ग): आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न उपाए किए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू उपलब्धता को विनियमित करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात प्रतिबंध इत्यादि जैसे व्यापार एवं राजकोषीय नीतिगत उपायों के समुचित उपयोग; स्टॉक सीमाओं का अधिरोपण और राज्यों को जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का सुझाव देना; और उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का प्रावधान शामिल है। सरकार अनेक स्कीमों का कार्यान्वयन भी कर रही हैं जिनमें, अन्य स्कीमों के साथ-साथ, समुचित उपायों के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए – समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन और पॉम ऑयल) इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार, दालों, प्याज और आलू जैसी कृषि-बागवानी वस्तुओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सहायता हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी.एस.एफ.) का भी कार्यान्वयन कर रही है।

****

अनुलग्नक

'खाद्य मुद्रास्फीति' के संबंध में दिनांक 20.03.2020 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3123 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक

माह	वर्ष						
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
जनवरी	9.68	6.14	6.85	0.61	4.70	-2.24	13.63
फरवरी	7.89	6.88	5.30	2.01	3.26	-0.73	10.81(P)
मार्च	8.64	6.14	5.21	2.01	2.81	0.30	
अप्रैल	9.21	5.11	6.40	0.61	2.80	1.10	
मई	8.89	4.80	7.47	-1.05	3.10	1.83	
जून	7.21	5.48	7.79	-2.12	2.91	2.25	
जुलाई	8.85	2.15	8.35	-0.36	1.30	2.36	
अगस्त	8.70	2.20	5.91	1.52	0.29	2.99	
सितंबर	6.22	3.88	3.96	1.25	0.51	5.11	
अक्तूबर	3.88	5.25	3.32	1.90	-0.86	7.89	
नवंबर	1.13	6.07	2.03	4.35	-2.61	10.01	
दिसम्बर	3.96	6.40	1.37	4.96	-2.65	14.19	

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) *पी– अनन्तिम*

*****